

सं०सं०-1/प्र०नर्स-02/2016- 24(1)क०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के आवंटनादेश सं०-1(1)ब० दिनांक-18.04.2016 में सेवा में के पश्चात् अंकित प्रेषित व्यक्तियों की सूची को संशोधित रूप से निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

"सभी अधीक्षक,

संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार

सभी संबंधित सिविल सर्जन। (सूची संलग्न)


प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा"

2- उपरोक्त वर्णित आवंटनादेश की कंडिका-3 को संशोधित रूप से निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

"इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।"

3- आवंटनादेश सं०-1(1)ब० दिनांक-18.04.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4- आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।


(शेखर चन्द्र वर्मा)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/प्र०नर्स-02/2016- 24(1)क० /स्वा०, पटना, दिनांक- 17 /06 /2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी संबंधित सिविल सर्जन/प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।